



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 14/2026

प्रमोद वर्मा

...याचिकाकर्ता/कर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय नियोजन विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – संजय कुमार पाण्डेय, रिया पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना ।

2. प्रश्नगत भूमि/स्थान/संपत्ति, संख्या 4/4-टीसीजी, रोहतास प्रेसिडेंशियल आर्केड, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, का एक भाग श्री अमित शर्मा को आवंटित किया गया था, जिस पर उन्होंने कुछ निर्माण कार्य किए। हालांकि, चूंकि निर्माण कार्य विधि के अनुसार नहीं थे, इसलिए उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण कार्यवाही शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.08.2023 को ध्वस्तीकरण आदि का आदेश जारी हुआ, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है। इसके विपरीत, बाद में जारी नोटिस के आधार पर, उक्त व्यक्ति ने रिट याचिका संख्या 111/2026 दायर की, जिसे हाल ही में समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 08.01.2026 को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस स्थिति के संबंध में और यह पूछे जाने पर कि उसी स्थान/भूमि/संपत्ति के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) कैसे स्वीकार्य/पोषणीय हो सकती है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिकथन प्रस्तुत किया कि उक्त रिट याचिका ढाबा /भोजनालय आदि के निर्माण से संबंधित है, न कि उससे सटे मंदिर से। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि मंदिर का निर्माण उसी ट्रस्ट द्वारा किया गया है जो भोजनालय का संचालन कर रहा था, अर्थात् 'साईधाम मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट'। याचिकाकर्ता स्वयं के मंदिर का पुजारी होने का दावा करता है।
4. श्री रत्नेश चन्द्रा का तर्क है कि ध्वस्तीकरण नोटिस उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहित संपूर्ण भूमि के संबंध में था और मंदिर का निर्माण बाद में भूमि के कुछ भाग को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए किया गया है।
5. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम इस जनहित याचिका पर विचार नहीं करना चाहते।
6. जनहित याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 जनवरी, 2026

एम वी एस